— :: कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा) बालोद (छ.ग.) :: —

फैक्स नं. 07749.223915, ई–मेल – **actwd.balod@Gmail.com**

क्र0/ 191 /पो.मै.छा./2023–24/ बालोद,दिनांक 17 /05/2023

प्रेस विज्ञाप्ति

"ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2022–23 अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु दिये गये बैंक खाते को आधार सीडिंग कराने हेतु विज्ञप्ति "

वर्ष 2022–23 ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाता क्रमांक को आधार से सीडिंग एवं N.P.C.I. Mapping Enable होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि हस्तानांतरित होगी। बिना बैंक खाता आधार सीडिंग के छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हो पाना संभव नहीं है।

जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, आई.टी.आई. एवं पालीटेक्निक आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है, को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24.05.2023 तक आप अपने बैंक शाखा में जाकर अनिवार्य रूप से बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराये एवं NPCI Mapping भी Enable कराये। ताकि छात्रवृत्ति राशि खाते में हस्तानांतरण संबंधी कार्यवाही की जा सके।

बैंक खाता क्रमांक को विद्यार्थियों के द्वारा आधार से सीडिंग नहीं करने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि से वंचित रहते हैं तो इसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद

पृ.क्र0/ 191 /पो.मै.छा./2023–24/ **बालोद, दिनांक 17/05/2023**

प्रतिलिपि :–

01– आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर दिनांक 17.05.2023 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में सादर सूचनार्थ।

02– कलेक्टर, जिला बालोद की ओर सादर सूचनार्थ।

03– उप संचालक, जन संपर्क, बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्त प्रेस–विज्ञप्ति को जिला स्तरीय बहु प्रसारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद

Letter 004